प्रेस सार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12th अगस्त, 2026

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) – 2026 की प्रतिवेदन संख्या 21 प्रस्तुत

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19-ए के अंतर्गत तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में आठ अध्याय हैं। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का (सीपीएसई) का सारांश और सीएजी की निगरानी की भूमिका के अलावा, सीपीएसई द्वारा कंपनी अधिनियम, के 2013 प्रावधानों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस परभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी नियमोंगाइडलाइंस के पालन की स्थिति/, सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक मंत्रालयों और नवरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण, विनिवेश प्रक्रिया और सततता की स्थिति की समीक्षा के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

मार्च 31, सीएजी) तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 2024) के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में सीपीएसई) केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 757) थे। यह अध्याय 684 सीपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है; इसमें उन सीपीएसई 73 (जिनमें सरकार के नियंत्रण वाली को शामिल नहीं किया गया है जिनके खाते (अन्य कंपनियाँ भी शामिल हैं 24 तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थे, जो परिसमापन की प्रक्रिया में थे, या जिनके पहले खाते अभी तक देय नहीं थे या प्राप्त नहीं हुए थे।

(पैरा 1.1.3)

सरकारी कंपनियों और कॉरपोरेशन 479के खातों से पता चला की है कि मार्च 31, तक 2024 केंद्र सरकार कीअंश पूंजी में ₹11,93,मार्च 31 करोड़ की इक्विटी हिस्सेदारी थी। 439, 2024 तक इनसीपीएसई को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋणों की बकाया राशि ₹2,87, 678 करोड़ थी।

(पैरा 1.2 और 1.2.2.1)

66सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों) जिनमें नौ सहायक कंपनियाँ शामिल हैं और साल के दौरान नई सूचीबद्ध हुई तीन सीपीएसई शामिल नहीं हैं (के शेयरों का कुल बाजार मूल्य, जिनके शेयरों का कारोबार202 3-24 के दौरान हुआ था, मार्च 31, 2024 तक ₹37,92, 736करोड़ था।

(पैरा1.2.4)

2023 सरकारी कंपनियों और निगमों ने 282- के दौरान 24₹3,58,करोड़ का मुनाफ़ा 385 कमाया, जिसमें से 70.प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम 46, बिजली और कोयला व लिग्नाइट जैसे तीन सेक्टर की सीपीएसई 79 का था।

(पैरा1.3.1)

सरकारी कंपनियों और 134निगमों ने साल 2023- के लिए 24₹1,38,करोड़ का डिविडेंड 138 घोषित किया।

(पैरा1.3.4)

साल 2023- सरकारी कंपनियों को 182 के दौरान 24₹34, 31 करोड़ का नुकसान हुआ। 908 मार्च, सरकारी कंपनियों पर कुल 214 तक 2024₹2,47, करोड़ 181की संचित हानि थी।

(पैरा1.3.2 और1.3.3.1)

II. सीएजी की निगरानी भूमिका

सीपीएसई 757 में से, सीपीएसई 607 तक 2024 सितंबर 30 से वर्ष 2023-के वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। सीएजी 24 ने सीपीएसई 327 के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की।

(पैरा2.5.1)

चुनिंदा सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की अहम टिप्पणियों का मुनाफ़े और संपत्ति देनदारियों पर वित्तीय असर क्रमशः/₹3,563. करोड़ और 37₹61,949.करोड़ था। 59

(पैरा2.5.1)

III. कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समीक्षा में सीपीएसई 65 शामिल थे, जिनके शेयरबॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज / में लिस्टेड थे, और सीपीएसई 36 जिनमें चार वैधानिक निगम शामिल थे, जिनके केवल बॉन्डमार्च 31 डिबेंचर/, तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे। 2024

(पैरा3.1.2)

वर्ष 2023-24 की संपूर्ण अथवा आंशिक अवधि के दौरान, सात सीपीएसई में गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड की कुल संख्या के सीपीएसई 49 प्रतिशत से कम थे और 50 के बोर्ड में ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

(पैरा 3.2.1 और 3.2.2)

वर्ष 2023-24 की संपूर्ण अथवा आंशिक अवधि के दौरान, सात सीपीएसई के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी और सीपीएसई 16 (जो टॉप 1,के बोर्ड (लिस्टेड कंपनियों में शामिल हैं 000 में कोई महिलास्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

(पैरा 3.2.3)

वर्ष 2023-24 की संपूर्ण अथवा आंशिक अवधि के दौरान, एक सीपीएसई में ऑडिट कमिटी का गठन नहीं किया गया था और चार सीपीएसई में लेखा परीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्यस्वतंत्र निदेशक नहीं थे। इसके अलावा, दो सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ऐजीएम में शामिल नहीं हुए।

(पैरा 3.6.1.1, 3.6.1.2 और 3.7)

IV. सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

इस चैप्टर में 2019-2023 से 20- की अवधि के दौरान 24'रत्न' कैटेगरी की चुनिंदा 26 सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर किए गए व्यय को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार की ओर से कोई दिशानिर्देश न होने के कारण, सीपीएसई अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए कोई खास और एक जैसी पॉलिसी बनाने के लिए बाध्य नहीं थीं। लेखापरीक्षा के लिए चुनी गई सीपीएसई 26 में से आधे से ज़्यादा के पास कोई खास पॉलिसी नहीं थी; इसके बजाय, वे क्वालिटी पॉलिसी, एक्शन प्लान, या अन्य संबंधित दिशानिर्देश/ढांचा दस्तावेज आदि का पालन करती थीं।

(पैरा 4.5.1)

2021-2023 से 22-के दौरान 24, 9-सीपीएसई 13 (महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न ने (अनुसंधान एवं विकास पर अपने 'कर से पूर्व लाभ' का 2 प्रतिशत से भी कम खर्च किया, जबकि तीन सीपीएसई ने इस दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कोई खर्च नहीं किया।

(पैरा 4.5.2.2)

V. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

इस समीक्षा में अलग 58 विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली/अलग मंत्रालयों-सीपीएसई (महारत्न 10, 12नवरत्न, को शामिल किया गया। (अन्य 18 मिनिरत्न और 18

(पैरा 5.2)

आठ सीपीएसई ने बोर्ड से विधिवत मंज़ूर सीएसआर पॉलिसी नहीं बनाई और सीपीएसई 18 ने सालाना एक्शन प्लान तैयार नहीं किया।

(पैरा 5.3.2 और 5.3.3)

साल 2023-सीपीएसई 58 में 24 का कुल सीएसआर खर्च ₹3,339.सीपीएसई 15 करोड़ था। 80 ने सीएसआर खर्च में कमी की सूचना दी। कुल सीएसआर खर्च में पेट्रोलियम और बिजली सेक्टर का हिस्सा प्रतिशत था। 69

(पैरा 5.4.1 और 5.4.2)

VI. प्रशासनिक मंत्रालयों और नवरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण

इस समीक्षा में 2022-2023 और 23-के लिए छह नवरत्न सीपीएसई 24 और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच साइन किए गए एमओयू शामिल थे। एमओयू के मापदंड को अंतिम रूप देने के लिए अंतर) मंत्रालयी समिति-आईएमसी) की बैठक आयोजित करने के संबंध में डीपीई के एमओयू दिशानिर्देशों में कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी।-

(पैरा 6.5 और 6.5.1.1)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन के नियमों जैसे कि स्वतंत्र निदेशक/ स्वतंत्र महिला निदेशक की कम से कम संख्या का पालन न करने के बावजूद, प्रशासनिक मंत्रालयों और डीपीई ने एमओयू गाइडलाइंस के अनुसार सीपीएसई के एमओयू स्कोर से अंक नहीं काटे।

(पैरा 6.5.2.1)

डीपीई ने चुने गए छह सीपीएसई के लिए अंतिम रैंकिंगस्कोर तय करने में काफ़ी समय लिया/ जो की साल 2022-2023 दिन और साल 100 से 55 के लिए 23- 92 से 68 के लिए 24 दिन थे।

(पैरा 6.5.3.2)

VII. विनिवेश प्रक्रिया

वर्ष 2022- के लिए विनिवेश से होने वाली आय का बजट अनुमान 23₹51,करोड़ तय 000 किया गया था, लेकिन वर्ष 2023-के संशोधित अनुमानों में विनिवेश के लिए कोई अनुमान 24 नहीं लगाया गया था। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग)दीपम) ने वित्त वर्ष 2023- के दौरान 24पंद्रह मामलों में विनिवेश के ज़रिए ₹16,507.करोड़ की राशि जुटाई। 29

(पैरा 7.4 और 7.5)

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम)एसयूयूटीआई) ने में दीपम को ₹1,करोड़ 770 कीलाभांश इनकम भेजी (मार्च 2024), जिसे दीपम ने विनिवेश से हुई कमाई के तौर पर दिखाया। हालांकि, इसे विनिवेश से हुई कमाई में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लाभांश इनकम सरकारी हिस्सेदारी बेचने से मिली रकम का हिस्सा नहीं है।

{पैरा 7.6.5 (क)}

VIII. सततता की स्थिति की समीक्षा

लेखापरीक्षा में मार्च को खत्म हुए साल के लिए 2024बाजार मूल्य के आधार पर चुने गए सीपीएसई 30 द्वारा किए गए बीआरएसआर खुलासों की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में खुलासों में कुछ कमियां पाई गईं, जैसे कि प्रदत्त पूंजी का गलत प्रकटीकरण; यद्धपी रिपोर्टिंग सीमा "समेकित आधार पर थी, फिर भी सभी सहायक कंपनियो, संयुक्त उपक्रमो एवं सहयोगी संस्थायो आदि का विवरण शामिल नही किया गया और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी में विसंगतियां, जैसे कि लिंगवार और दिव्यांग कर्मचारियों का विवरण आदि।-

(पैरा 8.5.1)

स्वास्थ्य एव दुर्घटना बीमा आच्छादन, मातृत्व/पित्रत्व लाभ तथा सेवानिवत्तृि लाभो के तहत आच्छादन के बारे में गलत या अधूरी जानकारी देने के मामले सामने आए।

(पैरा 8.5.3.3)

ऊर्जा और पानी की खपत, हवा में उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मामले में, खपत और उत्सर्जन की जानकारी का खुलासा न करने के उदाहरण सामने आए हैं।

(पैरा 8.5.3.6)